

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-11/आ04-1046/2025-

1642

पटना, दिनांक-

01/09/26

CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-02.12.2025 को की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर के लालगंज प्रशाखा अन्तर्गत कुल 405 अदद शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 387 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया एवं शेष 18 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 60 अदद शिकायतों को Reopen किया गया, जो उक्त तिथि तक लंबित पायी गयी। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 23 अदद थी। इसके अतिरिक्त 174 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया।

02. वर्णित परिप्रेक्ष्य में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने की दशा में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीमती सुप्रिया स्वराज, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-लालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-160, दिनांक-20.01.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती स्वराज के पत्रांक-शून्य, दिनांक-16.02.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

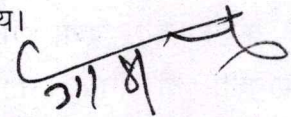
03. प्राप्त स्पष्टीकरण में श्रीमती स्वराज द्वारा अपने स्तर से संवेदक को लंबित शिकायतों का निराकरण हेतु निदेशित किये जाने एवं सहायक अभियंता से भी संवेदक की लापरवाही के दृष्टिगत कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु शिकायतों का सात दिनों से ज्यादा अवधि तक लंबित रहने से स्पष्ट होता है कि श्रीमती स्वराज द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई ठोस प्रयास नहीं करते हुए संवेदक को पत्राचार कर मात्र खानापूर्ति किया गया है, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

04. उक्त वर्णित स्थिति में श्रीमती स्वराज के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

05. आरोपित श्रीमती सुप्रिया स्वराज, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-लालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित श्रीमती सुप्रिया स्वराज, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-लालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को दी जाय।



✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

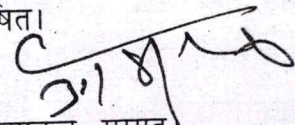
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1046/2025-

1642

पटना, दिनांक- 01/09/26

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर तथा श्रीमती सुप्रिया स्वराज, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-लालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1046/2025-

1642

पटना, दिनांक- 01/09/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)/(कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर अंचल मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)